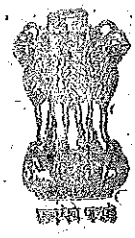

भारत का विधि आयोग

एक-सौ सातवीं रिपोर्ट

नागरिकता विधि

दिसम्बर, 1984

न्यायमूर्ति के० के० मैथ्यू अर्द्ध शा० एफ 2(II) 84-एल०सी०

नई दिल्ली
तारीख 3 दिसम्बर, 1984

प्रिय मंत्री महोदय,

मैं इसके साथ विधि आयोग की एक-सौ सातवीं रिपोर्ट भेज रहा हूं जो "नागरिकता विधि" के विषय में है। विधि आयोग ने स्वप्रेरणा से इस विषय पर विचार किया है।

इस रिपोर्ट को तैयार करने में श्री० वैपा पी० सारथी, अंशकालिक सदस्य और श्री० ए० के० श्रीनिवासमूर्ति, सदस्य-सचिव, ने जो मूल्यवान सहयोग दिया है उसके लिए आयोग उनका ऋणी है।

सादर,

भवदीय,

हस्ताक्षरित /—

(के० के० मैथ्यू)

श्री जगन्नाथ कौशल,
विधि और न्याय मंत्री,
नई दिल्ली

संलग्न : एक-सौ सातवीं रिपोर्ट

विषय–सूची

		पृष्ठ
अध्याय 1 :	नागरिकता विधि	1—2
अध्याय 2 :	समस्याएं	3—6
अध्याय 3 :	प्राप्त आलोचनाएं	7
अध्याय 4 :	सिफारिशें	8

1 -502 एल० ए० डी०/एन० डी०/84

अध्याय 1

नागरिकता विधि

संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 9 तक ।

1.1. भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में और नागरिकता अधिनियम (1957 का 57) में भारतीय नागरिकता से संबंधित विधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 में ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता की चर्चा है जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच देश का विभाजन हो जाने के पश्चात् भारत की आबंटित राज्यक्षेत्र में रुक कर निवास करते थे। ऐसे व्यक्ति भारतीय नागरिक हो गए परंतु तब जब कि उनका अधिवास जन्म का अवजनन (वंशानुक्रम) से था या यदि वे भारत में अधिवसित और संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष से भारत में मामूली तौर से निवासी थे। अनुच्छेद 6 में ऐसे व्यक्तियों की चर्चा है जो विभाजन के समय पर पाकिस्तान की आबंटित राज्यक्षेत्र में निवास करते थे किंतु भारतीय अधिवास अर्जित करना चाहते थे और भारत के नागरिक बन गए। अनुच्छेद 7 में ऐसे व्यक्तियों की चर्चा है जो 1 मार्च, 1947 के पश्चात् भारत छोड़ कर चले गए, अर्थात् विभाजन पर भारत के आबंटित क्षेत्र से उस क्षेत्र को चले गए जो पाकिस्तान को आबंटित था। ऐसे व्यक्तियों के बारे में यह समझा गया कि वे भारत के नागरिक नहीं हैं। इस अनुच्छेद के परंतुक में ऐसी संभावना की चर्चा है। ऐसे व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति विभाजन से पहले और बाद में होने वाली हिंसा तथा उपद्रव के कारण पाकिस्तान चले गए। किंतु उसके बाद वे भारत वापस आना चाहते थे। यदि ऐसे व्यक्ति पुनर्वास या स्थायी वापसी के लिए परमिट के अधीन भारत में वापस आ गए तो उनके बारे में यह समझा जाता है कि वे भारत के नागरिक हैं। अनुच्छेद 8 ऐसे भारतियों को उस दशा में नागरिकता प्रदान करता है जब कि वे अनुच्छेद 8 के उपबंधों का पालन करते हैं। अनुच्छेद 9 में यह उपबंधित है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छया अर्जित कर ली है तो वह भारत का नागरिक न रह जाएगा। उच्च न्यायालय ने[1] यह अभिनिर्धारित किया है कि संविधान के प्रारंभ होने के पहले विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित किए जाने वाले मामलों को ही लागू होता है क्योंकि इस अनुच्छेद में "स्वेच्छा से अर्जित" वाक्यांश है। इससे यह विषमता उत्पन्न हो गई है कि 26 जनवरी, 1950 के पश्चात् विदेशी नागरिकता अर्जित करने से भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं हो जाती। किंतु संसद् ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 (1) में इस स्थिति की चर्चा यह उपबन्ध करके की है कि भारत का कोई नागरिक जो किसी अन्य देश की नागरिकता देशीयकरण द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा या अन्यथा स्वेच्छया अर्जित कर लेता है या **जिसने 26 जनवरी 1950 और इस अधिनियम के प्रारंभ के बीच किसी समय स्वेच्छया अर्जित कर ली है,** वह यथास्थिति, ऐसे अर्जन या ऐसे प्रारंभ पर भारत का नागरिक न रह जाएगा। अर्थात्, यदि किसी व्यक्ति ने 26 जनवरी, 1950 के पश्चात् और नागरिकता अधिनियम के प्रारंभ (30 दिसंबर, 1955) से पहले विदेशी नागरिकता अर्जित कर ली है तो वह व्यक्ति केवल 30 दिसंबर, 1955 को और उसी तारीख से भारतीय नागरिक न रह जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 10 और 11।

1.2. अनुच्छेद 10 में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद् द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा और अनुच्छेद 11 संसद् को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के लिए, यहां तक कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 9 तक का रूपभेदन या अध्यारोहण करने के लिए भी विधान बनाने की शक्ति देता है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 से लेकर धारा 7 तक।

1.3. अनुच्छेद 11 द्वारा संसद् को प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में नागरिकता अधिनियम, 1955 पारित किया गया था। यह 26 जनवरी, 1950 को या उसके पश्चात् नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के विषय में है। इस अधिनियम में भारतीय नागरिक बनने के लिए पांच तरीकों का उपबंध किया गया है :—

(1) जन्म द्वारा नागरिकता (धारा 3);

---

1. स्टेट आफ एम० पी० (मध्य प्रदेश) बनाम पीर मोहम्मद, ए० आई० आर० 1963 सुप्रीम कोर्ट 645।

(2) अवजनन द्वारा नागरिकता (धारा 4);

(3) रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता (धारा 5);

(4) देशीयकरण द्वारा नागरिकता (धारा 6); और

(5) भारत के भागरूप राज्यक्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता (धारा 7)।

नागरिकता अधिनियम की धारा 8 से लेकर धारा 10 तक।

1.4. इस अधिनियम की धारा 8 में नागरिकता के त्यजन की चर्चा है ; धारा 9 में नागरिकता के पर्यवसान की और धारा 10 में नागरिकता से वंचित किए जाने की चर्चा है।

नागरिकता अधिनियम की धारा 11 और धारा 12।

1.5. धारा 11 में राष्ट्रमंडलीय नागरिकता की और धारा 12 में किसी अन्य देश के नागरिकों को भारतीय नागरिक के अधिकार प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार के अधिकार की चर्चा है।

नागरिकता अधिनियम की धारा 13 से लेकर धारा 19 तक।

1.6. धारा 13 में यह प्रमाणित करने के लिए उपबंध है कि कोई व्यक्ति, जिसकी भारत की नागरिकता के बारे में संदेह है, भारत का नागरिक है और शेष धारा 14 से लेकर धारा 19 तक में प्रक्रिया से संबंधित तथा प्रकीर्ण विषयों की चर्चा है।

अध्याय 2

समस्याएं

नागरिकता के संबंध में समस्याएं।

2.1. विधि आयोग ने नागरिकता से संबंधित विधि का परीक्षण स्वप्रेरणा से किया है और नागरिकता अधिनियम के कार्यकरण में निम्नलिखित समस्याओं पर ध्यान दिया है :—

(1) नागरिकता नियम, 1956 की अनुसूची के III नियम 3 के उपबंधों को किस प्रकार से कारगर बनाया जाए ?

(2) नागरिकता नियम के नियम 9 का विषय-विस्तार कितना है ?

(3) क्या नागरिकता अधिनियम की धारा 9 (2) के अधीन आवेदनों के निपटारे के लिए समय की कोई सीमा होनी चाहिए ?

पहली समस्या।

2.2. नागरिकता नियम की अनुसूची III के नियम 3 के संबंध में पहली समस्या निम्नलिखित रूप में उत्पन्न होती है :—

नागरिकता अधिनियम की धारा 9 (1) और (2)।

2.3. नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 (1) और (2) निम्नलिखित रूप में है :—

"धारा 9(1)—भारत का कोई नागरिक जो किसी अन्य देश की नागरिकता देशीयकरण द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा या अन्यथा स्वेच्छया अर्जित कर लेता है या जिसने 26 जनवरी, 1950 और इस अधिनियम के प्रारंभ के बीच किसी समय स्वेच्छया अर्जित कर ली है, वह, यथास्थिति, ऐसे अर्जन या ऐसे प्रारंभ पर भारत का नागरिक न रह जाएगा:

परंतु इस उपधारा की कोई भी बात भारत के ऐसे नागरिक को, जो किसी ऐसे युद्ध के दौरान, जिसमें भारत लगा हुआ हो, किसी अन्य देश की नागरिकता का अर्जन स्वेच्छया करता है, तब तक लागू नहीं होगी जब तक केंद्रीय सरकार अन्यथा निदेश नहीं दे देती।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या, कब या कैसे किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित की है तो उसका अवधारण ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति में और साक्ष्य के ऐसे नियमों का ध्यान रखते हुए किया जाएगा जैसे इस निमित्त विहित किए जाएं।

नागरिकता नियम का नियम 30।

2.4. नागरिकता नियम के नियम 30 में यह उपबंधित है कि (1) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या, कब या कसे किसी व्यक्ति न किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित की है तो धारा 9(2) के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रश्न का अवधारण करने के लिए प्राधिकारी केंद्रीय सरकार होगी और (2) केंद्रीय सरकार ऐसे प्रश्न का अवधारण करने में अनुसूची III में विनिर्दिष्ट साक्ष्य के नियमों पर सम्यक् ध्यान देगी।

नागरिकता नियम की अनुसूची II का नियम 3।

2.5. अनुसूची III के नियम 3 में यह उपबंधित है कि :—यह तथ्य कि भारत के किसी नागरिक ने किसी अन्य देश की सरकार से किसी तारीख को पारपत्र (पासपोर्ट) प्राप्त कर लिया है। इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि उसने उस तारीख से पहले उस देश की नागरिकता स्वेच्छया अर्जित कर ली है।

धारा 9(2) और अनुसूची III के नियम 3 का न्यायिक निर्वचन।

2.6. धारा 9(2) और अनुसूची III के नियम 3 के विस्तार का प्रश्न अनेक विनिश्चयों का विषय रहा है। इसमें से कुछ विनिश्चयों में[1] यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि "निश्चायक सबूत" का विचार मूल विधि का विषय है और साक्ष्य का नियम नहीं है। इसलिए अनुसूची III का

---

1. मोहम्मद खां बनाम ए० पी० (आंध्र प्रदेश), ए० आई० आर० 1957 ए० पी० 1047, सराफत बनाम ए० पी० (उत्तर प्रदेश) ए० आई० आर० 1960, इलाहाबाद 637,

नियम 3 धारा 9 (2) के विस्तार के बाहर है और इस कारण से वह अधिकारातीत है। अन्य विनिश्चयों में[1] यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि अनुसूची III के नियम 3 में केवल साक्ष्य का एक नियम उपबंधित है और धारा 9 (2) की शक्ति के अधीन है। इन विनिश्चियों में परस्पर विरोध को उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों के मुकाबले तीन न्यायाधीशों के बहुमत ने उक्त पश्चात्वर्ती दृष्टिकोण के पक्ष में यह निर्णय देकर दूर कर दिया है कि अनुसूची III का नियम 3 शक्ति के अधीन है।

समस्या 2.7—यह मान लेने पर भी कि नागरिकता अधिनियम की अनुसूची III के नियम 3 में केवल साक्ष्य का एक नियम उपबंधित है इस नियम की विधिमान्यता अभी संदेहपूर्ण है और उच्चतम न्यायालय के बहुमत का विनिश्चय सही नहीं हो सकता है[2]।

संविधान के अनुच्छेद 5 में यह उपबन्धित है कि :—इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और—

(क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या

(ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या

(ग) जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में सामूली तौर से निवासी रहा है,

भारत का नागरिक होगा।

संविधान के अनुच्छेद 9 के तुसंगत भाग में यह उपबन्धित है कि—यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक न रह जाएगा (अपनी ओर से जोर देने के लिए रेखांकित)

इसलिए नागरिकता अधिनियम की धारा 9(2) में किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित करने के प्रश्न की जो चर्चा की गई है वह उस रूप में स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित किए जाने के बारे में अनुध्यात है जिस रूप में वह संविधान के अनुच्छेद 9 में उपबन्धित है। यदि ऐसा है तो नागरिकता नियम के नियम 30 के अधीन केन्द्रीय सरकार यह विनिश्चय करने के लिए प्राधिकारी है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है और केन्द्रीय सरकार ऐसा विनिश्चय अनुसूची III में विनिर्दिष्ट साक्ष्य के नियमों के अनुसार करेगी। ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसने किसी अन्य देश का पासपोर्ट प्राप्त कर लिया है, केन्द्रीय सरकार को इस आधार पर कि अनुसूची III का नियम 3 साक्ष्य का एक नियम है यह स्वतः विनिश्चय करना पड़ेगा कि क्या उस व्यक्ति ने अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है और वह अनुच्छेद 9 के अधीन भारत का नागरिक नहीं रह गया है? इससे निम्नलिखित परस्पर विरोधी बात उत्पन्न हो जाती है। यह प्रश्न कि क्या किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से कुछ किया है तथ्य का प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न उसकी मानसिक स्थिति के सम्बन्ध में है। किन्तु अनुसूची III का नियम 3 उस व्यक्ति की, जिसने किसी अन्य देश से पासपोर्ट अर्जित किया है, मानसिक स्थिति की जांच करने की इजाजत नहीं देता है। इस तरह से यह नियम नागरिकता अधिनियम की धारा 9(2) के विरुद्ध है जिसमें जांच की परिकल्पना की गई है और इसलिए यह नियम शून्य है।

---

1. **चारुल हसन** बनाम राजस्थान, ए० आई० आर० राजस्थान, 172। **स्टेट** बनाम शरीफ आई, ए०आई० आर० 1969 बंबई, 192 और **मोहम्मद उस्मान** बनाम मद्रास, ए० आई० आर० मद्रास 12।

2. **इजहार अहमद** बनाम **पुनियन** ए० आई० आर० 1962 सुप्रीम कोर्ट 1052।

दूसरी समस्या।

2.8. नागरिकता नियम के नियम 9 के सम्बन्ध में दूसरी समस्या कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विनिश्चय के कारण उत्पन्न हुई है[1] ।

नागरिकता अधिनियम की धारा 5।

2.9. नागरिकता अधिनियम की धारा 5 में यह उपबन्धित है कि रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता अर्जित की जा सकती है । उपधारा (1) (क) में यह उपबन्धित है कि धारा के उपबन्धों और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं विहित प्राधिकारी इस निमित्त आवेदन किए जाने पर किसी ऐसे व्यक्ति को, भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा जो संविधान के आधार पर या अधिनियम के अन्य उपबन्धों को ऐसे किसी उपबन्ध के आधार पर भारत का नागरिक नहीं है और निम्नलिखित कोटियों में से किसी कोटि का है : (क) भारतीय उदभव के वे व्यक्ति जो भारत में मामूली तौर से निवासी हैं और रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से अव्यवहित छह मास पूर्व इस प्रकार निवासी रहे हैं ।

नागरिकता नियम के नियम 8 और 9।

2.10. नागरिकता नियम के नियम 8 और 9 में निम्नलिखित रूप में उपबन्धित हैं :—

नियम 8—धारा 5(1) (क) या धारा 5(1) (घ) के अधीन भारत के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए प्राधिकारी कलक्टर होगा और इन नियमों के अधीन किसी अन्य दशा में केन्द्रीय सरकार होगी ।

नियम 9—कलक्टर धारा 5(1) (क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत करने से पहले अपना यह समाधान कर लेगा कि वह व्यक्ति—

(क) भारतीय उद्भव का है और वह आवेदन की तारिख के अव्यवहित छह मास पूर्व भारत में वास्तव में निवास करता रहा है,

(ख) उसका भारत से घनिष्ट सम्बन्ध है,

(ग) उसका आशय भारत में स्थायी रूप से निवास करना है,

(घ) उसने अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजनिष्ठा की शपथ पर हस्ताक्षर किया है,

(ङ) वह सच्चरित्र है और भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा योग्य और समुचित व्यक्ति है ।

कलकत्ता उच्च न्यायालय का विनिश्चय ।

2.11. इस प्रश्न के बारे में कि क्या धारा 5(1) (ङ) के अधीन आवेदन की जांच किए बिना संक्षेप में खारिज किया जाना नियम के उल्लंघन में था, यह अभिनिर्धारित किया गया था[2] कि कलक्टर स्वयं ऐसी रीति से जानकारी प्राप्त करेगा जो वह ठीक समझे, अर्थात् गोपनीय जांच करके या अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर कार्य करके । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि न तो अधिनियम और न नियमों द्वारा कलकक्टर से यह अपेक्षा की गई है कि वह आवेदन इंकार करने की दशा में जांच करे क्योंकि कलक्टर यह कार्य कार्यपालिक और राजनीतिक कार्य है और यदि नियम 9 की सभी शर्तों का समाधान हो जाता है तो भी कलकक्टर आवेदन को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आबद्ध नहीं है और वह आवेदन इंकार करने के लिए कोई कारण बताने के लिए आबद्ध नहीं है ।

तीसरी समस्या ।

2.12. धारा 9(2) के अधीन आवेदनों के शीघ्र निपटारे के संबंध में तीसरी समस्या निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न होती है । —

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का विनिश्चय ।

2.13. इलाहाबाद के एक मामले में[3] एक ऐसे अर्जीदार को, जो भारत आया था, और जब भारत का नागरिक घोषित किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को धारा 9(2) के अधीन उसके द्वारा किया

---

1. अब्दुल हकीम बनाम एस डी ओ, ए० आई० आर० 1965 कलकत्ता 160 ।

2. पाद-टिप्पण 5 देखिए ।

3. मुख्तार अहमद बनाम यू० पी० (उत्तर प्रदेश), ए० आई० आर० 1965 इलाहाबाद 191 ।

गया आवेदन लम्बित था, गिरफ्तार किए जाने का और विदेशियों विषयक अधिनियम के अधीन विवासन (डिपोर्ट) करने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि अर्जीदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी नागरिकता के प्रश्न का अवधारण किए जाने के पश्चात् ही की जा सकती थी। किन्तु उक्त मामले में जिस मुद्दे पर ध्यान दिया जाना था वह यह है कि अर्जीदार ने नागरिकता अधिनियम की धारा 9(2) के अधीन 1958 में आवेदन किया था और इस मामले का निपटारा 1964 में उस समय तक नहीं हुआ जब उच्च न्यायालय ने इस पर विचार किया। उच्च न्यायालय के विचार के अनुसार उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी क्योंकि उसका आवेदन केन्द्रीय सरकार के समक्ष लम्बित था, यदि यह अन्ततः विनिश्चय किया जाता कि वह विदेशी था तो इसका परिणाम यह होता कि एक अवांछनीय विदेशी भारत में सात वर्ष से अधिक समय तक रुका रहा और इससे विदेशियों विषयक अधिनियम एक निष्प्रभावी कानून है।

अध्याय 3

प्राप्त आलोचनाएं

आलोचनाएं।

3.1. हमने जो कार्य संचालन पत्र[1] जारी किया था उसके उत्तर में निम्नलिखित आलोचनाएं प्राप्त हुई हैं :—

(1) एडवोकेट्स एसोशिएशन (अधिवक्ता संघ)[2] ने यह आलोचना की है कि आयोग को पहला समस्या पर विचार करने की आवश्यकता इस तथ्य को ध्यान में रखने के कारण नहीं है कि उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय[3] विगत 22 वर्षों से इस विषय के सम्बन्ध में विधि है। जहां तक दूसरी समस्या का सम्बन्ध है ऐसोशिएशन आयोग के सुझाव से सहमत है और तीसरी समस्या के सम्बन्ध में ऐसोशिएशन को यह संदेह है कि क्या केवल समय की सीमा निश्चित कर देना पर्याप्त होगा ?

(2) एक सज्जन ने यह बात उठायी है कि विदेशों में रहने वाले कुछ व्यक्ति व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं और ऐसे कार्य से उनकी अवयस्क सन्तान पर विदेशी नागरिकता थोप दी जाती है। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि ऐसे व्यक्तियों और उनकी सन्तान को भारतीय नागरिकता स्वतः वापस मिल जानी चाहिए या भारत सरकार को ऐसे व्यक्तियों के लिए दोहरी नागरिकता को मान्यता देनी चाहिए।

अवयस्क व्यक्ति के लिए इस समय एक उपबन्ध है कि जब वह वयस्क हो जाए तब वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति भी, जिसने विदेशी नागरिकता अर्जित कर ली है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।

(3) एक अधिवक्ता[4] ने यह बात उठाई है कि बम्बई में नागरिकता अधिनियम की धारा 5(1) (क) के अधीन[4] आवेदन को चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट (मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट) के समक्ष फाइल करना पड़ता है और तब वह आवेदन सी०आई०डी० (अपराध अन्वेषण विभाग) को भेजा जाता है और तब बम्बई सचिवालय के पासपोर्ट अनुभाग को और अन्त में नई दिल्ली में गृह कार्यालय (होम आफिस) या विदेश कार्यालय (फारेन आफिस) को भेजा जाता है। उसने यह बात उठाई है कि आवेदन के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रक्रिया से आवेदन का निपटारा करने में अत्यधिक विलम्ब हो जाता है।

(4) एक उच्च न्यायालय[5] और एक राज्य के विधि विभाग[6] ने आयोग के सभी सुझावों से सहमति प्रकट की है।

आयोग के विचार।

3.2. आयोग ने अभिव्यक्त किए गए विचारों पर पूरी तरह से विचार किया है जिनके लिए वह उनकी सराहना अभिलिखित करता है। आयोग ने पर्याप्त विचार करने के पश्चात् अगले अध्याय में बताए गए सुझाव दिए हैं।

---

1. विधि आयोग की फाइल सं० 2(11)/84-एल० सी० क० सं० 9 (आर०)।
2. इजहार अहमद का मामला, ए० आई० आर० 1962 (सुप्रीम कोर्ट 1052)।
3. विधि आयोग की फाइल सं० 2 (11)/84-एल० सी० क० सं० 7 (आर०)।
4. विधि आयोग की फाइल सं० 2 (11)/84-एल० सी० क० सं 6 (आर)।
5. विधि आयोग की फाइल सं० 2(11)/84-एल० सी० क० सं० 15 (आर०)।
6. विधि आयोग की फाइल सं० 2(11)/84-एल० सी० क० सं० 14 (आर०)।

अध्याय 4

सिफारिशें

अनुसूची III के नियम 3 के बारे में समस्या ।

4.1. इजहार अहमद के मामले[1] के विनिश्चय का अनुमोदन उच्चतम न्यायालय के पश्चात्-वर्ती विनिश्चय में[2] किया गया है जिसमें अनुसूची III के नियम 3 को शक्ति के अधीन बताया गया है। किन्तु उच्चतम न्यायालय के पश्चात्वर्ती विनिश्चयमें यह दृष्टिकोण अपनाया है कि नियम 3 के होते हुए भी विदेशी पासपोर्ट को प्राप्त करना इस बात का निश्चायक सबूत नहीं बन जाता कि आवेदक ने विदेशी नागरिकता अर्जित कर ली है । इस नियम के विस्तार और प्रभाव के बारे में (अधिनियम की धारा के बारे में नहीं) इस परस्पर विरोध को देखते हुए आयोग यह महसूस करता है कि यह विषय भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए छोड़ देना चाहिए कि वह इस विरोध को दूर करे। इसलिए आयोग इस विषय के बारे में कोई सुझाव नहीं दे रहा है ।

धारा 5(1)(क) के अधीन अवसर और धारा 9(2) के अधीन समय की सीमा ।

4.2. आयोग समस्याएं (2) और (3) के बारे में विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित सुझाव दे रहा है :—

समस्या (2) : आयोग का यह विचार है कि कलक्टर द्वारा आवेदक का आवेदन नागरिकता नियम के नियम 9 के अधीन इन्कार किए जाने से पहले आवेदक को पर्याप्त अवसर प्रदान करके नागरिकता अधिनियम की धारा 5(1) (क) के अधीन जांच की जानी चाहिए ।

समस्या (3) : आयोग का यह विचार है कि धारा 9(2) के अधीन आवेदन का निपटारा किए जाने के लिए नागरिकता अधिनियम में छह मास के उचित समय की सीमा नियत की जानी चाहिए जिससे कि अवांछनीय विदेशियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की जा सके ।

(के० के० मैथ्यू)
अध्यक्ष

(जे० पी० चतुर्वेदी)
सदस्य

(डा० एम० बी० राव)
सदस्य

(पी० एम० बक्षी)
अंशकालिक सदस्य

(वेपा पी० सारथी)
अंशकालिक सदस्य

(ए० के० श्रीनिवासमूर्ति)
सदस्य-सचिव
तारीख 3-12-84

---

1. इजहार अहमद बनाम यूनियन आफ इंडिया, ए० आई० आर० 1962 सुप्रीम कोर्ट, 1652 ।
2. मोहम्मद अयूब खां बनाम यूनियन आफ इंडिया, ए० आई० आर० 1965 सुप्रीम कोर्ट ।

भा० स० मु० ना०—वि० 6—502 एल० ए डी०/(एन०डी०)84—3-9-85—250

भारत का विधि आयोग की दिसम्बर, 1984 में प्रस्तुत "नागरिकता विधि" पर 107वीं रिपोर्ट का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	धारा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़े
1	1.1	16	भारतियों	भारतीयों
3	2.4	2	कसे किसी व्यक्ति न	कैसे किसी व्यक्ति ने
3	2.5 पार्श्व शीर्ष	2	अनुसूची II	अनुसूची III
3	पाद टिप्पण 1	2	बनाम य०पी०	बनाम यू०पी०
4	2.6	3	विनिश्चियों	विनिश्चयों
4	पाद टिप्पण 1	1	स्टेट बनाम शरीफ आई,	स्टेट बनाम शरीफ भाई,
4	,, 1	2	मद्रास 12 ।	मद्रास 129 ।
4	,, 2	1	बनाम पुनियन	बनाम यूनियन,
5	2.11	4	विचार व्यक्ति	विचार व्यक्त
5	2.11	6	कलक्टर यह	कलक्टर का यह
7	—— जहां कहीं भी 'सूझाव' आए 'सुझाव' पढ़ें ।			
8	4.1	2	नियम 3 का	नियम 3 को
8	4.1	4	पासपों	पासपोर्ट
8	पाद टिप्पण 1	1	1652	1052

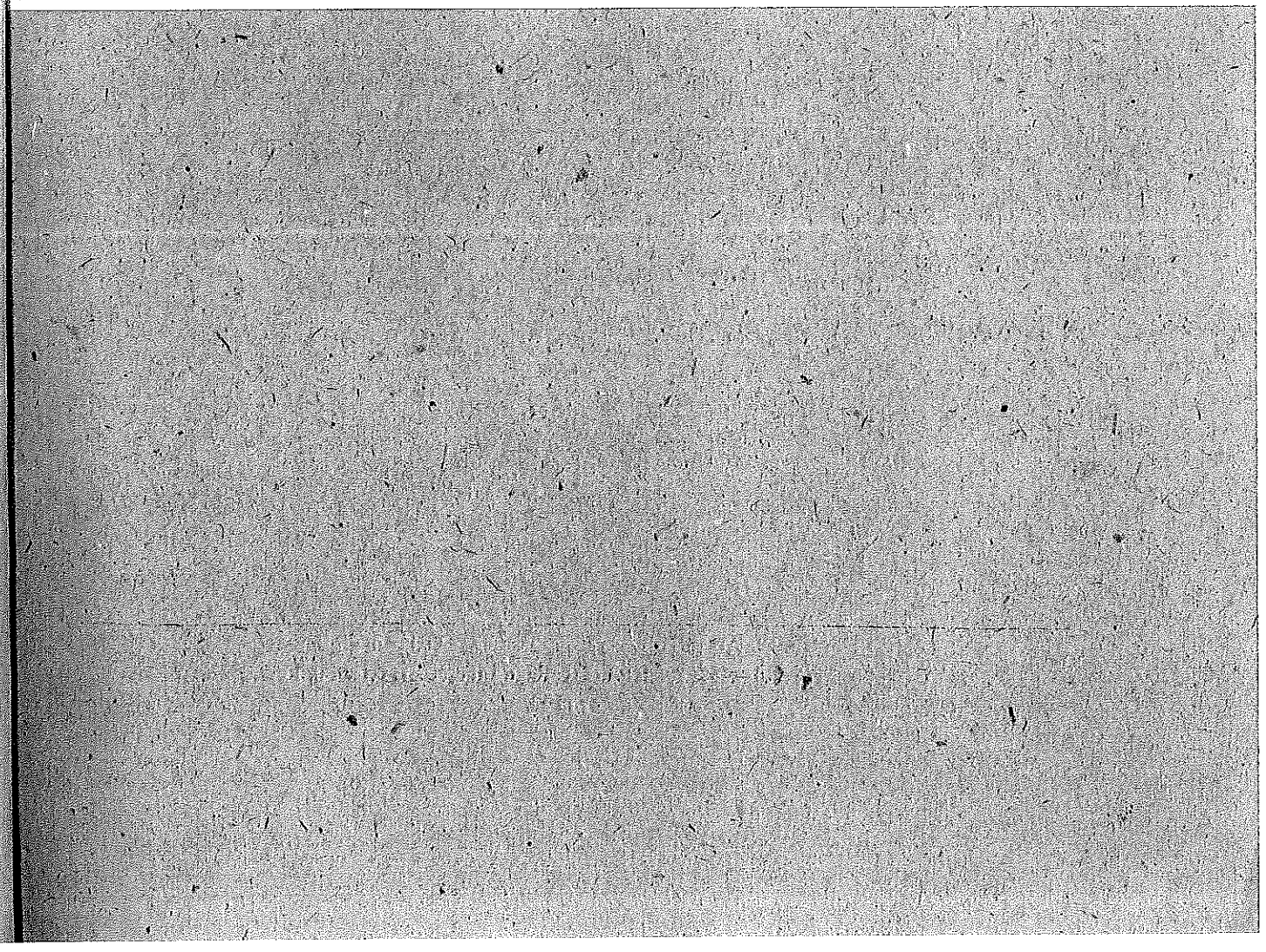

©

PLD.92.C—VII
250—1985(DSK IV)

मूल्य : (देशमें) रु० 10.00 (विदेश में) पौण्ड 1.17 या डॉलर 3 60 सेंटस्

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय द्वारा मुद्रित तथा
प्रकाशन-निदेशक, भारत सरकार, सिविल लाइंस, दिल्ली द्वारा प्रकाशित
1986